

प्रेषक

बृजराज सिंह यादव,  
विशेष सचिव  
उ०प्र० शासन ।

सेवा में

निदेशक मत्स्य  
मत्स्य निदेशालय  
उ०प्र० लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

विषय भारत सरकार के सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत मार्ग निर्देश/गाइड लाइन्स में संशोधन ।

महोदय

उपरोक्त विषयक शासन के आदेश संख्या- 20/2016/2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333) /2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार के सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निर्देश/गाइड लाइन्स निर्गत की गयी है।

2- अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन के अन्तर्गत मछुआ आवास के निर्माण हेतु रू० 1.20 लाख प्रति मछुआ आवास इकाई लागत निर्धारित की गयी है, जिसमें 50 प्रतिशत अर्थात 0.60 लाख की अधिकतम सीमा तक की धनराशि का वहन केन्द्र सरकार किया जाता है परन्तु राज्य सरकार द्वारा गुणवत्ता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत मछुआ आवासों को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित लोहिया आवास योजना की इकाई लागत को मानकों के अनुरूप बनाये जाने के दृष्टिगत प्रदेश में मछुआ आवास के निर्माण हेतु निर्धारित लागत रू० 3.05 लाख में से प्रत्येक मछुआ आवास हेतु 0.60 लाख केन्द्रांश तथा शेष रू० 2.45 लाख राज्यांश के रूप में वहन किये जाने का निर्णय निर्गत गाइड लाइन्स दिनांक 24-12-2016 में लिया गया था।


3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजना से अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त ब्लू रिवोल्यूशन योजना के अन्तर्गत मछुआ आवास के निर्माण हेतु पूर्व में निर्धारित इकाई लागत रू० 3.05 लाख ( 0.60 लाख केन्द्रांश तथा 2.45 लाख राज्यांश )के स्थान पर भारत सरकार द्वारा प्रति मछुआ आवास की निर्धारित इकाई लागत रू० 1.20 लाख प्रति आवास को ही प्रदेश में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार प्रदेश में प्रति यूनिट मछुआ आवास का निर्माण 50-50 प्रतिशत की दर से अर्थात 0.60 लाख केन्द्र द्वारा एवं 0.60 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

अनिदेशक (निर्देशक)  
श्रीवाके के अध्यक्ष प्रद्युम्न शर्मा  
निर्माण हेतु संशोधित इकाई ल  
-गत व आस्थाएक कायिकी  
11/7/2017  
JBF

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

4- भारत सरकार के सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या- 20/2016/2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333) /2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश/गाइड लाइन्स उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी तथा शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय


  
(बृजराज सिंह यादव)  
विशेष सचिव ।

संख्या: /2017/1128 (1)/ सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र० ।
- 2- समस्त जिलाधिकारी उ०प्र० ।
- 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ०प्र० ।
- 4- संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।
- 5- निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री इलाहाबाद को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
- 6- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ०प्र० लखनऊ ।
- 7- समस्त उप निदेशक मत्स्य उ०प्र० ।
- 8- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य उ०प्र० ।
- 9- न्याय अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-3 ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

  
(बिन्द गोपाल द्विवेदी)  
अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।